राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उप०।

आरोपी भगत सिंह सिंहत एवं शेष द्वाराश्री आलोक चौरसिया अधि० उप०। अनु० आरोपीगण का हाजरी माफी आवेदन पेश विचार उपरांत स्वीकार।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

अभियोजन साक्षी भरत सिंह उप0। उसे परीक्षण प्रतिपरीक्षण पश्चात उन्मुक्त किया गया।

प्रकरण में फरियादी व आरोपीगण से माध्यस्थम एवं सुलह कार्यवाही के संबंध में बताया जाकर इसके लाभ के बारे में बताए जाने पर उभयपक्ष द्वारा यह व्यक्त किया कि वे सुलह वार्ता करने हेतु तैयार है।

अतः उभयपक्ष की सहमित से प्रकरण में माध्यस्थम कार्यवाही संपादित कराने हेतु श्री आसिफ अहमद अब्बासी, जे.एम.एफ.सी चंदेरी जिला अशोकनगर के न्यायालय में पृथक से रेफरल ऑर्डर प्रेषित किया जावे तथा इसकी एक सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जावे।

उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं/ अपने अधिवक्ताओं सहित संबंधित न्यायालय में माध्यस्थम की चर्चा हेतु उपस्थित रहें।

प्रकरण माध्यस्थम रिपोर्ट प्राप्ति हेतु कुछ देर पश्चात पेश हो।

> साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्द्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

## पुनश्च:

उभयपक्ष पूर्ववत।

संबंधित न्यायालय से माध्यस्थम रिपोर्ट प्राप्त। रिपोर्ट के अनुसार उभयपक्ष के मध्य माध्यस्थम व सुलह की कार्यवाही सफल हुई हैं।

इसी प्रक्रम पर फरियादी देवेन्द्र द्वारा एक राजीनामा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 320(2) द0प्र0स0 तथा फरियादी/आहत व आरोपीगण द्वारा संयुक्त रूप से एक राजीनामा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320(8) द0प्र0स0 प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि उभयपक्ष आपस में हिल—मिलकर रहना चाहते है व भविष्य में उभयपक्ष के मध्य मधुर संबंध बने रहे, इसलिये बिना किसी डर, भय, दबाब लालच के स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा हो गया है। अतः राजीनामा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया आवेदन पत्र पर सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अभिलेख से प्रकट है कि आरोपीगण पर भा.द.स. की धारा 294, 341, 323/34, 506बी अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है, जिसमें से धारा 323/34, 341 भा0द0वि0 न्यायालय की अनुज्ञा के बिना शमनीय है एवं धारा 294, 506बी न्यायालय की अनुज्ञा से शमनीय है। फरियादी देवेन्द्र ने बताया कि उपस्थित आरोपी भगत सिह एवं अनु0 आरोपीगण सोनू एवं गोपाल सिह से उसका राजीनामा हो गया। अब उसके मध्य कोई विवाद शेष नही है। उनके मध्य मधुर संबंध हो गये हैं। राजीनामा उसने स्वेच्छा, बिना किसी भय, दबाव, लोभ या लालच के किया है। आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्ध का तथ्य अभिलेख पर नहीं है तथा राजीनामा विधि के प्रतिकूल नहीं है। फरियादी एवं आरोपीगण की पहचान श्री आलोक चौरसिया अधि. ने की। फरियादी देवेन्द्र के राजीनामा कथन लेखबद्ध किये गये।

अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर धारा 294, 341, 323/34, 506 बी भा.द.स. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के शमन की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामे के आधार पर आरोपीगण सोनू पुत्र भगवत सिंह बुंदेला, गोपाल सिंह पुत्र दीप सिंह एवं भगत सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह को भा०द०स० की धारा 294, 341, 323/34, 506 बी के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

अनुपस्थित आरोपीगण को दोषमुक्ति के संबंध में पृथक से सूचना पत्र जारी हो।

अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

> साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्द्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0